

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या- 696 कार्य-चौदह/पाकालि/2015-6के/2015/निदेशक(वितरण)

दिनांक: 29/06/2015

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/केस्को।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
3. निदेशक (विद्युत सुरक्षा), उ०प्र० शासन, विद्युत सुरक्षा निदेशक, विभूति खण्ड-2, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, डिस्काम/मुख्य अभियन्ता, लेसा/मुख्य अभियन्ता, केसा।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, डिस्काम।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, डिस्काम।

विषय:- प्रदेश में विद्युत संयोजन में त्वरित गति से विद्युत भार स्वीकृत करने के लिए अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

प्रदेश में त्वरित गति से विद्युत संयोजनों की स्वीकृति प्रदान करने के दृष्टिगत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्र सं०-469 कार्य-चौदह/पाकालि/2015-6के/2015/निदेशक(वितरण) दिनांक 25.04.2015 के आंशिक संशोधन में "औद्योगिक विद्युत भार की स्वीकृतियों की व्यवस्था" के स्थान पर "समस्त विद्याओं में एकल बिन्दु विद्युत भार स्वीकृतियों की व्यवस्था" पढ़ा जाये।
उपखण्ड अधिकारी (वितरण) एवं अवर अभियन्ता (वितरण) की संयोजन स्वीकृत कर निर्गत करने के अधिकार यथावत् रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 696 -कार्य-चौदह/पाकालि/2015-6-के/2015/निदेशक(वितरण) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक(वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक(वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक(आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. निदेशक(कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त निदेशकगण, मध्यांचल-लखनऊ/पश्चिमांचल-मेरठ/दक्षिणांचल-आगरा/पूर्वांचल-वाराणसी/केस्को-कानपुर।
10. मुख्य अभियन्ता पारेषण(पूर्व)-वाराणसी/पारेषण(पश्चिम)-मेरठ/पारेषण(दक्षिण)-आगरा/पारेषण (मध्य)-लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब) शक्ति भवन, लखनऊ।

(आर०के० श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या- 469 कार्य-चौदह/पाकालि/2015-6के/2015/निदेशक(वितरण)

दिनांक: 25.04.2015

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/केस्को।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
3. निदेशक (विद्युत सुरक्षा), उ0प्र0 शासन, विद्युत सुरक्षा निदेशक, विभूति खण्ड-2, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, डिस्काम/मुख्य अभियन्ता, लेसा/मुख्य अभियन्ता, केसा।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, डिस्काम।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, डिस्काम।

विषय:- प्रदेश में नये उद्योगों को त्वरित गति से विद्युत भार स्वीकृत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

प्रदेश में उद्योगों को त्वरित गति से विद्युत संयोजन की स्वीकृति प्रदान करने के दृष्टिगत उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0 9-सी/पाकालि-16/2000-3(405)सी/89, दिनांक 01.02.2000 के संशोधन में औद्योगिक विद्युत भार स्वीकृतियों की व्यवस्था में पूर्व की सभी समितियों को समाप्त करते हुए, विद्युत वितरण संहिता-2005 की धारा-3.2 के अनुसार 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र से निकलने वाले सभी द्वितीयक प्रणाली तथा स्वतन्त्र 11 के0वी पोषकों पर निर्गत किए जाने हेतु प्राविधानित 3000 के0वी0ए0 तक का विद्युत भार अधिशासी अभियन्ता के स्तर पर स्वीकृत किए जाने का अधिकार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इसी प्रकार 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 उपकेन्द्रों से निकलने वाले ई0एच0टी0 एवं 33 के0वी0 पोषकों पर 3000 के0वी0ए0 से अधिक के औद्योगिक भार स्वीकृत करने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण) स्तर पर निम्नलिखित समिति के गठन का निर्णय लिया गया है:-

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र) | : | अध्यक्ष |
| 2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (पारेषण) | : | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) | : | संयोजक सचिव |

उक्त समिति द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले विद्युत भार हेतु पारेषण उपकेन्द्र पर 33 के0वी0 'बे' की उपलब्धता अथवा 'बे' के निर्माण हेतु स्थान की उपलब्धता पर विचार किया जायेगा। समिति के गठन सम्बन्धी आदेश, समितियों के अध्यक्ष/संयोजक सचिव द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

अन्य व्यवस्थाएँ एवं प्रक्रिया पूर्ववत् रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या-469-कार्य-चौदह/पाकालि/2015-6-के/2015/निदेशक(वितरण) तददिनांक

/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक(वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक(आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. निदेशक(कार्य एवं परियोजना), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त निदेशकगण, मध्यांचल-लखनऊ/पश्चिमांचल-मेरठ/दक्षिणांचल-आगरा/पूर्वांचल-वाराणसी/केस्को-कानपुर।
10. मुख्य अभियन्ता पारेषण(पूर्व)-वाराणसी/पारेषण(पश्चिम)-मेरठ/पारेषण(दक्षिण)-आगरा/पारेषण (मध्य)-लखनऊ।

(आर0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)